

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी (एस.डी.एम.) दांतारामगढ(सीकर)

क्रमांक/भू.रू./2011/राजस्व/

दिनांक:- 1-11-2011

संपरिवर्तन आदेश

आवेदक बी.एस.मेमोरियल शिक्षण संस्थान राणोली जिला सीकर जरिये सचिव नरेन्द्रसिंह राज. के आवेदन पर आवेदक की खातेदारी अभिघृति में धारित कृषि भूमि का राजस्थान भू. राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषिक प्रयोजनों के लिये संपरिवर्तन) नियम 2007 के नियम 9 के अधीन अकृषिक प्रयोजन के लिये इसके द्वारा संपरिवर्तन किया जाता है, जिसकी विशिष्टियां नीचे दी गई हैं: -

1	आवेदक खातेदार अभिधारी का नाम पिता/पति के नाम सहित पूरा पता	बी.एस.मेमोरियल शिक्षण संस्थान राणोली जिला सीकर जरिये सचिव नरेन्द्रसिंह राज.
2	क्या आवेदक अनुसूचित जाति या अनुसूचित जन जाति का सदस्य है।	नही
3	(क)ग्राम/ग्राम पंचायत तहसील का नाम	ग्राम रानोली तहसील दांतारामगढ जिला सीकर
	(ख)भूमि का खसरा ओर प्रत्येक खसरा संख्या का क्षेत्रफल (हेक्टेयर या वर्गमीटर)	ख.न. 1581/1251/1 रकबा 0.2450 किस्म बारानी 1 यानि 2450 वर्गमीटर
	(ग)प्रत्येक खसरा संख्या के क्षेत्रफल को उपदर्शित करते हुए संपरिवर्तित क्षेत्रफल (हेक्टेयर या वर्गमीटर)	ख.न. 1581/1251/1 रकबा 0.2450 किस्म बारानी 1 यानि 2450 वर्गमीटर
	टिप्पणी:- (अकृषिक प्रयोजन के लिये संपरिवर्तित भूमि को दर्शाते हुए राजस्व नक्शे के सुसंगत भाग की सम्यक रूप से सत्यापित प्रति संलग्न है।)	संलग्न है
4	संपरिवर्तन का प्रयोजन	संस्थानिक प्रयोजनार्थ (ईकाई)
5	संदेय प्रीमियम की दर	6.50/- प्रति वर्गमीटर
6	चालान की संख्या तथा तारीख सहित जमा करायी गई प्रीमियम की राशि	348 दिनांक 11-10-11 तादादी 15925/- रूपये
7	चालान की संख्या तथा तारीख सहित ब्याज यदि कोई हो, की जमा कराई गई राशि	10660/- Total =26585/-
8	चालान की संख्या तथा तारीख सहित ब्याज यदि कोई हो, की जमा कराई गई राशि	-
9	क्या आदेश नियमितिकरण के लिये नियम 13 के अधीन जारी किया गया है?	नहीं
10	अन्य विशिष्टियां यदि कोई हो	इण्डियन रोड कांग्रेस एवं रेल्वे के मापदंडों के नियमानुसार सडक/रास्ते की भूमि को छोडते हूरे।

.....2.....

  
संपरिवर्तन अधिकारी

**11 उपर्युक्त संपरिवर्तन आदेश निम्नलिखित शर्तों के अधधीन होगा :-**

- 1 इंडियन रोड कांग्रेस द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार सडक के मध्य से भूमि निःशुल्क राज्यपक्ष में छोडते हुए संपरिवर्तन की कार्यवाही की जावेगी।
- 2 संबधित ग्राम पंचायत के नियमों का पालना किया जायेगा तथा वातावरण को स्वच्छ रखना होगा।
- 3 यदि प्रार्थी इण्डियन रोड कांग्रेस के मापदण्डों में वर्णित सडक मार्ग से रास्ता चाहते हैं तो भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण से अनुमति लेनी होगी। यदि सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा संधारित सडकों से रास्ता चाहते हैं तो सार्वजनिक निर्माण विभाग से अनुमति लेनी होगी।
- 4 राजस्व विभाग के परिपत्र क्रमांक: प.6(6) राज-6/92 पार्ट/23 दिनांक 17-07-07 के अनुसार नक्शा पास होने से पूर्व निर्माण कार्य नहीं किया जायेगा।
- 5 राजस्थान सरकार के परिपत्र क्रमांक SE (NH) pa/5/d/1603 दिनांक 24-02-05 एवं परिपत्र क्रमांक f-2(8) raj/bhu-ru group 9/02 जयपुर dt. 20-11-04 भूमि रूपान्तरण अधिनियम एवं इंडियन रोड कांग्रेस के अनुसार लागू होंगे।
- 6 The land converted for the above non - agricultural purpose shall not be used for any other non agricultural purpose ,without obtaining prior permission of the prescribed authority.
- 7 No land mentioned in rule 4 shall be used for any non agricultural purpose.
- 8 No part of the land converted for public utility purpose shall be used for any other non agricultural purpose without valid permission from the prescribed authority.
- 9 If the applicant fails to use the land for the converted purpose within a period of 2 years from the date of the issue of this order the permission shall be withdrawn and the premium money deposited by the applicant shall be forfeited.
- 10 प्रस्तावित भवन निर्माण पर वर्षा जल संचय हेतु वाटर हार्वेस्टिंग स्केक्चर का निर्माण करना अनिवार्य होगा।
- 11 मुख्यमंत्री हरित राजस्थान योजना के तहत पर्यावरण स्वच्छ रखने के लिए प्रस्तावित खाली भूमि पर पेड पौधे लगाना अनिवार्य होगा।
- 12 आवेदक को प्रस्तावित संपरिवर्तित भूमि में आवागमन हेतु रास्ते की व्यवस्था स्वयं अपने स्तर पर करनी होगी।

संश्लिष्ट अधिकारी

(उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ)

क्रमांक/भूमि रूपा./2011/राजस्व/297680

दिनांक:- 1-11-2011

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- 1 श्रीमान जिला कलक्टर महोदय, सीकर।
- 2 तहसीलदार, दांतारामगढ।
- 3 ग्राम पंचायत रानोली।
- 4 पटवारी हल्का रानोली तह. दांतारामगढ।
- 5 बी.एस.मेमोरियल शिक्षण संस्थान राणोली जिला सीकर जरिये सचिव नरेन्द्रसिंह राज.
- 6 रक्षी पत्रावली


उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ

**-: संपरिवर्तन आदेश :**

आवेदक/प्रार्थी बी.एस. मेमोरियल शिक्षण संस्थान रानोली जरिये सचिव श्री नरेन्द्र सिंह पुत्र ओमप्रकाश भामू जाति जाट निवासी खण्डेलसर तहसील दांतारामगढ जिला सीकर के आवेदन पर आवेदक की खातेदारी अभिधृति में धारित कृषि भूमि का राजस्थान भू. राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषिक प्रयोजनों के लिये संपरिवर्तन) नियम 2007 के नियम 9 के अधीन अकृषिक प्रयोजन के लिये इसके द्वारा संपरिवर्तन किया जाता है, जिसकी विशिष्टियां नीचे दी गई है :-


1	आवेदक खातेदार अभिधारी का नाम पिता/पति के नाम सहित पूरा पता	बी.एस. मेमोरियल शिक्षण संस्थान रानोली जरिये सचिव श्री नरेन्द्र सिंह पुत्र ओमप्रकाश भामू जाति जाट निवासी खण्डेलसर तहसील दांतारामगढ जिला सीकर			
2	क्या आवेदक अनुसूचित जाति या अनुसूचित जन जाति का सदस्य है।	नहीं			
3	(क)ग्राम/ग्राम पंचायत तहसील का नाम	ग्राम रानोली ग्रा0प0 रानोली तह0 दांतारामगढ जिला सीकर			
	(ख)भूमि का खसरा ओर प्रत्येक खसरा संख्या का क्षेत्रफल (हेक्टर या वर्गमीटर)	खसरा नम्बर 1693/65 रकबा 0.6250 है0 में से 0.60 है0 किस्म गै0मु0 बरानी यानि 6000 वर्गमीटर			
	(ग)प्रत्येक खसरा संख्या के क्षेत्रफल को उपदर्शित करते हुए संपरिवर्तित क्षेत्रफल (हेक्टर या वर्गमीटर)	ख.न.	कुल रकबा	संपरिवर्तित रकबा है0	कुल संपरिवर्तित क्षेत्र भूमि(वर्गमीटर )
		1693/65	0.6250	0.60	6000 वर्गमीटर
	टिप्पणी:- (अकृषिक प्रयोजन के लिये संपरिवर्तित भूमि को दर्शाते हुए राजस्व नक्शे के सुसंगत भाग की सम्यक रूप से सत्यापित प्रति संलग्न है।)	संलग्न नक्शा ट्रेस में संपरिवर्तित रकबे को बरंग सुर्ख से दर्शाया गया है जो संपरिवर्तन आदेश का भाग है।			
4	संपरिवर्तन का प्रयोजन	सांस्थानिक (शैक्षणिक) प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन			
5	संदेय प्रीमियम की दर	6.96 रू0 प्रति वर्गमीटर			
6	चालान की संख्या तथा तारीख सहित जमा करायी, गई प्रीमियम की राशि	चा.सं 1069 दि0 28.12.2020 तादाद कुल 41760 / रुपये जमा			
7	चालान की संख्या तथा तारीख सहित ब्याज यदि कोई हो, की जमा कराई गई राशि	नहीं			
8	चालान की संख्या तथा तारीख सहित ब्याज यदि कोई हो, की जमा कराई गई राशि	नहीं			
9	क्या आदेश नियमितिकरण के लिये नियम 13 के अधीन जारी किया गया है?	हां			
10	अन्य विशिष्टियां यदि कोई हो	1 इण्डियन रोड कांग्रेस के मापदण्डों के अनुसार संलग्न नक्शा ट्रेस के अनुसार सड़क/रास्ते/रेल्वे/की सीमा कि भूमि संलग्न नक्शा ट्रेस में प्रदर्शितानुसार नियमानुसार छोड़ते हुऐ।			

कृ.पू.उ...2

  
अपखण्ड अधिकारी  
दांतारामगढ (सीकर)

11 उपर्युक्त संपरिवर्तन आदेश निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगा :-


1. इंडियन रोड कांग्रेस द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार सड़क के मध्य से भूमि निःशुल्क छोड़ते हुए संपरिवर्तन की कार्यवाही की जावेगी।
2. संबधित ग्राम पंचायत के नियमों की पालना की जावेगी, तथा वातावरण को स्वच्छ रखना होगा।
3. यदि प्रार्थी इण्डियन रोड कांग्रेस के मापदण्डों में वर्णित सड़क मार्ग से रास्ता चाहते हैं तो भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण से अनुमति लेनी होगी। यदि सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा संधारित सड़कों से रास्ता चाहते हैं तो सार्वजनिक निर्माण विभाग से अनुमति लेनी होगी।
4. राजस्थान सरकार के परिपत्र क्रमांक SE (NH) pa/5/d/1603 दिनांक 24.02.05 एवं परिपत्र क्रमांक f-2(8)raj/bhu-ru group 09/02 जयपुर dt. 20.11.04 भूमि रूपान्तरण अधिनियम एवं इंडियन रोड कांग्रेस के अनुसार लागू होंगे।
5. The land converted for the above non - agricultural purpose shall not be used for any other non agricultural purpose ,without obtaining prior permission of the prescribed authority.
6. No land mentioned in rule 4 shall be used for any non agricultural purpose.
7. No part of the land converted for public utility purpose shall be used for any other non agricultural purpose without valid permission from the prescribed authority.
8. If the applicant fails to use the land for the converted purpose within a period of 5 years from the date of the issue of this order the permission shall be withdrawn and the premium money deposited by the applicant shall be forfeited.
9. प्रस्तावित संपरिवर्तित भूमि में हरित राजस्थान हेतु छायादार हरे पेड़ पर्याप्त रूप से लगाये जावें।
10. सड़क व रास्ते व एच.टी.लाईन नक्शा ट्रेस में प्रदर्शितानुसार खुले क्षेत्र के रूप में संपरिवर्तन से छोड़ा गया रकबा उसी प्रयोजन के काम आयेगा तथा इस क्षेत्र में निर्माण कार्य पूर्णतया वर्जित रहेगा।
11. सड़क सीमा में छोड़ी गई खुले क्षेत्र की भूमि में निर्माण कार्य वर्जित रहेगा।
12. रूपान्तरित भूमि में हरे पेड़ काटे जाने 500 रु प्रति पेड़ जुर्माना राशि जमा करायी जानी होगी और एक पेड़ काटे जाने पर 3 पेड़ लगाये जाने अनिवार्य होना चाहिए।
13. सुविधा आदि की व्यवस्था हेतु रूपांतरित क्षेत्र का 40 प्रतिशत भाग छोड़ा जावेगा एवं शेष 60 प्रतिशत भूमि में शैक्षणिक उपयोग किया जा सकेगा।

  
 प्राधिकृत अधिकारी  
 (उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ़)  
 दिनांक 07/01/2021 (सीकर)

क्रमांक/भूमि रूपा./2021/राजस्व/31-25

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- 1 श्रीमान जिला कलक्टर महोदय, सीकर।
- 2 तहसीलदार दांतारामगढ़।
- 3 उप पंजीयक पलसाना।
- 4 पटवारी हल्का, रानोली।
- 5 बी.एस. मेमोरियल शिक्षण संस्थान रानोली जरिये सचिव श्री नरेन्द्र सिंह पुत्र ओमप्रकाश भामू जाति जाट निवासी खण्डेलसर तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर।
- 6 रक्षित पत्रावली।

  
 प्राधिकृत अधिकारी  
 (उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ़)  
 उपखण्ड अधिकारी  
 दांतारामगढ़ (सीकर)